तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए

वकुलाए फरीकेन उपस्थित प्रार्थना पत्र अवैटमेन्ट पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रार्थी श्यामलाल (सुणाराम का वारिस) के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रकरण रिमाण्ड होकर आने पर न्यायालय में वास्ते तलबी चल रही है दिनांक 24.11.2018 को सुणाराम वादी का मुक्त्यारआम गिरधारी फोत हो गया सुणाराम की मृत्यू दिनांक 28.05.2010 को हो गई सुणाराम कके जायज वारिसान प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार है उक्त वाद का प्रार्थी को कभी भी ज्ञान नही था दिनांक 29.12.2019 को श्रीरामकुमार जी अधिवक्ता ने फोन पर पुछने पर अवगत करवाया की आपके पिता का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में चल रहा है तब अवगत करवाया की मेरे पिता का तो देहान्त हो गया है तब वकील साहब ने कहा की अपने पिता का मृत्यू प्रमाण पत्र एव वारिसानामा लेकर आना मेरा भाई गिरधारी भी फोत हो गया है जिसके मृत्यु व वारिस प्रमाण पत्र मंगवाया दिनांक 29.11.2019 से पहले उक्त दावा के सम्बध में प्रार्थी को ज्ञान नही था मिकर व मिकर का परीवार ग्रामीण परिवेश से है अदालत में कभी आना जाना ही नही हुआ वकील साहब के द्वारा अवगत करवाने पर ज्ञान हुआ है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सुणाराम वादी का नाम कलमजन किया जाकर श्यामलाल पुत्र सुणाराम तथा तरबीती प्रतिवादी जो कभी भी वादी बन सकते है प्रेमा , विमला, गिरधारी (फोत) रामचन्द्र भादरराम श्यामलाल मिर पूर्णराम दानी चिडिया पुत्र पुत्रीया सुनणाराम व सुरजीत कुमार पुष्पा लिलावती पुत्रीया गिरधारी को वाद में फरीक बनाया जावे।

प्रतिवादी /अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से सदभावना पर आधारित नही है प्रार्थना पत्र मनगढत तथ्यो पर आधारित है वादी सुणाराम का प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 28.05.2010 को देहान्त हो गया था 10 वर्षो के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिये देरीना को माफ नही किया जा सकता है प्रार्थना पत्र में देरीना को माफ करने का कोई सन्तोषजनक कारण दर्ज नही किया गया है जिससे देरीना को माफ किया जा सके इस प्रकार प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा अवैट होने के कारण खारीज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने जरिये मुक्त्यारआम हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2006 को निर्णय पारित किया गया था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में सुणाराम के द्वारा प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय ने दिनांक 12.09.2006 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था।
प्रकरण रिमाण्ड होकर आने के बाद न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई आरम्भ की गई वादी जरीये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रकरण तलबी पर विचाराधीन चलता रहा।

दिनांक 7.02.2018 को प्रतिवादी अर्जनराम के अधिवक्ता ने अवगत करवाया की मनीराम , श्योकारी फोत हो चुके है जिस पर न्यायालय ने मनीराम एव श्योकारी के वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर दिनांक 05.12.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अर्थात अत्याधिक देरीना से प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसका भी सन्तोषजनक जबाब पेश नही किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार वादी/मुख्त्यारकर्ता सुणाराम का देहान्त दिनांक 28.05.2010 को हुआ है तथा मुक्तयारकर्ता का देहान्त देहान्त दिनांक 24.11.2018 को हुआ है अर्थात वादी का देहान्त पहले हुआ है।

वादी सुणाराम के देहान्त होने पर उसके द्वारा करवाया गया मुक्तयारनामा स्वत ही प्रभावहीन हो गया मुक्तयारनामा तब तक प्रभावी था जब तक सुणाराम जीवत था सुणाराम के देहान्त के साथ मुक्तायारनामा भी समाप्त हो चुका था एवं मुख्त्यारआम को प्राप्त अधिकार भी स्वत समाप्त हो चके थे।

Scanned with CamScanner

प्रार्थी श्यामालाल ने सुणाराम के देहान्त होने के बाद का देरी का कारण अंकित किया गया है कि अधिवक्ता के द्वारा बताने पर उसे ज्ञान हुआ है स्वीकार योग्य नही है क्योकि वाद में वादी की ओर से पैरवी रिमाण्ड होने के बाद से लगातार की जा रही है एवं प्रार्थी को वादी सुणाराम के देहान्त होने के बाद उसके वारिसान को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था या वारिसान के द्वारा अन्य किसी को पैरवी हेतु नियुक्त किया जाना चाहिये था।

अर्जनराम के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 10(क) सीपीसी के अनुसार श्योकोरी , मनीराम, जेठी, रामी का भी देहान्त हो चुका है।

प्रकरण के अवलोकन अनुसार वादी सुणाराम जिसके द्वारा अपना वाद जरिये मुक्त्यारआम गिरधारी के प्रस्तुत किया गया था जिसकी मृत्यू 28.05.2010 को होने के 90 दिवस के अन्दर या तो वादी स्वय /वारिसान उपस्थित होकर पैरवी करता या अन्य किसी को अपने वाद की पैरवी करने हेतु नियुक्त करता ।

मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 120 के अनुसार मृतक के विधि प्रतिनिधि को रेकार्ड पर लिये जाने के लिये 90 दिवस की अवधि है इसके बाद प्रकरण स्वत ही उपशमित माना जा सकता है।

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र 05.12.2019 को पेश किया गया है जबकि सुणाराम की मृत्यू 28.05.2010 को एव उसके मुक्त्यारआम की मृत्यू दिनांक 24.11.2018 को हो चुकी थी अर्थात काफी देरीना से पेश किया गया है क्योकि मुख्त्यारकर्ता की मृत्यू के बाद ही मुक्तयारआम के अधिकार समाप्त हो गये थे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नियत अवधी 90 दिवस है अर्थात काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा –5 मियाद का कानुनी किसी पक्षकार के लिये कितना भी कठोर हो लेकिन जब कानुन में प्रावधान है तो उसे कठोरता से लागू करना पडेगा अदालतें (equitable Ground) समानता के आधार पर समय सीमा नही बढा सकती है।

"" माननीय उच्चतम न्यायालय की आर आर टी पेज – 432 में अंकित किया गया हे असत्य कथन के आधार पर सन्तोषजनक कारण के बिना देरी को माफ नही किया जा सकता है।"

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नही होने पर उपशपन बिना किसी न्यायिक आदेश के स्वतः ही होता है उपशमन हेतु प्रार्थना पत्र भी उपशमन हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नही है " आरएलडब्ल्यू– 2017 पेज 1105"

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विधिक प्रतिनिधि/वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने की अवधि 90 दिवस है हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से बाद पेश किया गया है तथा वाद के अन्य मृतको के वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही भी नही की गई है प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर विलम्ब को माफ किया जा सके।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वाद वादी अबैट होने के कारण खारिज किया जाता है दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner